Sub Registry Office, Danapur

Receipt for search, inspection and copy

Misc token no. Vishwajeet Kumar Serial no. 6517

Year Date 6579

Received from

Following fees:

F (i)-40 F (iii)- 0 G- 0

F (ii)- 0 F (iv)- 0 G(a)- 0

Total- 0

380

Registering Officer

FOR MATRIENGICON PVT. LTD.

Arvind K Srivastava

MANAGING DIRECTOR

अनुसूची 21 — फार्म सं० 113

(1641)

संपत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या 19..... आवेदन सं० 6277 dt 06/5/2009

श्री/मै० विश्वजीत कुमार सिन्हा पि० स्व० शिवधारी सिन्हा

ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में निर्धारित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाये। (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण है।)

इसलिये मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में जहाँ मैं और उससे सम्बद्ध अनुसूचियों में वर्ष 2005 to till dt 19 तक तलाशी की गयी और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला As per index II

चला है अतः संपत्ति अवभार से मुक्त है

क्रम सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र० विवरण		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	पन्ना	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mauza - Jalalpur Thana No - 22 Plot No - 322 Khata No - 207 Tauzi No - 5292 Area of Plot - 59 decimal. Distt - Patna							

FOR [illegible] LTD.

Arunava K. Srivastava

MANAGING DIRECTOR

...विवरण दर्ज करें।

...भार के लिए व्यक्ति को कर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बाहरी को उनके बारे में उल्लेख हो।

...की अवधि और आर्थिक स्थान दर्ज करें।

...प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़ अन्य संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवभार ...ना नहीं पाया है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की प्रमाण-पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर):

(पदनाम): UDC

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण-पत्र को जांच निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर):

(पदनाम): U.D.C

कार्यालय: Danapur

तारीख: 8/5/19

8/5/19

मुहर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी:- इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये है वे आवेदन द्वारा प्रस्तुति संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजो में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (इन्वेकशनस) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-५७ के अधीन जो व्यक्ति (बाहरी) और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हों अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहें, वे निर्धारित कोर्टफीस के आवेदनों के प्रमाण-पत्रों को जरूरत हो उन्हे अलग से स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके पास सामने रखदी जायेगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलाशी प्रमाण की किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है, और चूँकि उसके बाद किये गये संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा छोड़े गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, जिला निबंधक Danapur

ज्ञाप संख्या 1600 दिनांक 9/5/19

आवेदक श्री विश्वजीत कुमार सिन्हा S/O स्व० शिवधारी सिन्हा

का उक्तभार प्रमाण-पत्र हेतु LIC Housing Finance Ltd.

का उनके पत्र संख्या ——— दिनांक 04/05/2019 के प्रसंग में अग्रसारित की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी.

8/5/19

विवरण दर्ज करें।

[illegible] की खोज और तलाशी हेतु आवेदन

[illegible] से पहले की अवधि और वर्तमान स्वामित्व दर्शाए।

[illegible] करता हूँ कि उपर्युक्त संख्यवहारों और अवभारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवभार

[illegible] नहीं पाया है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की प्रमाण-पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर): [signature]

(पदनाम): UDC

तलाशी का संचालन और प्रमाण की खोज निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर): Shailendra

(पदनाम): U.D.C

कार्यालय: Danapur

दिनांक: 8/5/19

मुहर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी:—इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये है वे आवेदन द्वारा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निर्बाधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रभावित संव्यवहार (इन्कंबरेन्सेस) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-45 के अधीन जो व्यक्ति (पार्टियाँ) और अनुक्रमणिकाएँ (इन्डेक्स) की प्रतियाँ देखना चाहते हों अथवा उनकी प्रतिलिपियाँ लेना चाहते हों जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हें अलग से स्वयं करनी होगी। निर्धारित फीस का भुगतान करने पर पार्टियाँ और अनुक्रमणिकाएँ उनके पास सामने रखदी जायेगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलाशी प्रमाण की किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है, और चूँकि उसके बाद हुँढे गये संव्यवहारों और अवभारों को सम्पादन के बाद प्रमाण-पत्र में दिखाई, इसलिए निबंधन आवेदक द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, जिला निबंधन Danapur दिनांक 9/5/19

[illegible] संख्या 1600

[illegible] Nirmal Kumar द्वारा S/o [illegible] निवासी [illegible]

पर [illegible] LIC Housing Finance Ltd.

का [illegible] दिनांक 04/05/2019 के संबंध में अग्रसारित की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी.

8/5/19

Accinast K Srivastava